तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अप्रार्थीगण 1,3 लगायत 5 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थिया अप्रार्थी सं० 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	प्रतिवादी 2 के वि[illegible] कोई [illegible] नहीं [illegible] 24/12

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मा संख्या – 164/20 प्रा०पत्र

श्रीमती कमला देवी प०श्री श्यामलाल ब्राह्मण निवासी-बावलास तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री शंकर S/o गिरधारी कुमावत निवासी-बावलास तहसील-माण्डल [कॉग.]
(पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 24.12.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.......बावलास.......पटवार हल्का.......बावलास.......तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं.......3057/1054.......कुल किता.......01.......रकबा.......03....... —.......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-09-20.......को पंजीवद्व किया जाकर ण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......बावलास.......पटवार हल्का.......बावलास.......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की जी नं.......3057/1054.......कुल किता.......01.......रकबा.......03....... —.......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक 300/– ये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा ावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की ावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner